न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2020

प्रार्थीगण

1. दलाराम पुत्र जोराराम
2. मेदाराम पुत्र जोराराम
3. समेलाराम पुत्र जोराराम जातियान पूरोहित निवासीयान जेतपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. अमृतलाल पुत्र हीरा
2. अर्जूनराम पुत्र लेरा
3. काली पुत्री हीरा
4. कीकाराम पुत्र लेरा
5. चुनाराम पुत्र लेरा
6. झमकादेवी पुत्री लेरा
7. पीरा पुत्र प्रेमला
8. बगदाराम पुत्र लेरा
9. बगदी पुत्री हीरा
10. बबीदेवी पत्नि लेरा
11. मंजूदेवी पुत्री लेरा
12. मेतीदेवी पत्नि हीरा
13. मृतक वेला पुत्र प्रेमला के कायम मूकाम वारीसान–
    - 13/1 कृष्ण
    - 13/2 गणेशा
    - 13/3 बाबू
    - 13/4 वाला
    - 13/5 चन्दू पिसरान वेला
14. विमला पुत्र हीरा
15. शंकरा पुत्र प्रेमला
16. सोवनदेवी पत्री लेरा
17. अन्तरी पुत्री नागजी
18. करनाराम पुत्र नागजी
19. कस्तु पुत्र छोगाराम
20. केसरा पुत्र अचला
21. गेमाराम पुत्र वेला
22. जगदीश पुत्र नागजी
23. झेणी पत्नि वेला
24. नरसाराम पुत्र वेला
25. पिन्टू पुत्र नागजी
26. बगदाराम पुत्र नागजी
27. बलवन्त पुत्र नागजी
28. मृतक भगा पुत्र केवा के का. मू. वारीसान–
    - 28/1 हल्का पुत्र भगा
    - 28/2 लाला पुत्र भगा
    - 28/3 काना पुत्र भगा
    - 28/4 बाबू पुत्र भगा
    - 28/5 अन्तरी पुत्र भगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:19 IST
Reason: SelfAttested

28/6 प्रतापा पुत्र भगा
29. मेथी पुत्र छोगाराम
30. मफा पुत्र अचला
31. मफाराम पुत्र छोगा
32. मसराराम पुत्र वेला
33. महेन्द्र पुत्र नागजी
34. रेवी पुत्र वेला
35. वागाराम पुत्र छोगाराम
36. सामा पुत्र केवा
37. मृतक हकमाराम पुत्र वेला के कायम मूकाम वारीसान–
    37/1 पोपटलाल
    37/2 हिताराम पिसरान हकमाराम
    37/3 बबीदेवी पत्नि हकमाराम
    37/4 हिना पुत्री हकमाराम
38. हंसा पुत्र केवा तमाम जातियान भील निवासीयान जेतपुरा तहसील रानीवाडा
39. जवाराम पुत्र हरनाथजी जाति भील निवासी गारवाया तहसील रानीवाडा, जालोर
40. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बडगांव
41. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया व पुरणसिंह देवड़ा।
2. अप्रार्थी संख्या 3 ,6 ,7, 9, 11 ,13/1, 13/2, 14 से 21, 24, 28/1 से 31, 36, 37/4 व 38 की ओर वकील श्री मोहनलाल विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 25 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 05.04.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा [illegible] तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 121 रकबा 1.56 हैक्टर आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के [illegible] दर्ज है। नकल चालु जमाबंदी व चालु नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 121 रकबा 1.56 हैक्टर के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:19 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 122 रकबा 0.93 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 17 से 37 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 123 रकबा 0.75 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 17 से 38 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 125 रकबा 1.33 हैक्टर व खसरा नबंर 126 रकबा 1.20 हैक्टर की आई हुई है। उक्त आराजीयान के खातेदार जमनादेवी पत्नि छोगाराम, वेला पुत्र प्रेमला, राधा पत्नि अचला, वेला पुत्र केवा, सीता पत्नि नागजी, हकमा पुत्र वेला फौत हो चुके है, जिस खातेदार फौतेदगी म्युटेशन दर्ज नहीं हुआ है। उनके कायम मुकाम वारीसान को प्रकरण हाजा में संयोजित है। खातेदार अन्तरी, करनाराम, जगदीश, पिन्टू, बगदाराम, महेन्द्र जो नाबालिंग दर्ज हैं वे बालिंग हो गये है तथा उनकी माता कुदरती वली सीता पत्नि नागजी की भी मृत्यु हो चुकी हैं।

2. प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 121 रकबा 1.56 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 38 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 122 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नबंर 123 रकबा 0.75 हैक्टर व खसरा नबंर 125 रकबा 1.33 हैक्टर तथा खसरा नबंर 126 रकबा 1.20 हैक्टर के सीमा को लेकर विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 38 उक्त सीमा के विवाद को कायम रखना चाहते है। इस विवाद के चलते प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 38 की आराजी के माठ के विवाद को खत्म करने के लिये अपनी आराजी की पैमाईश हेतु तहसीलदारजी रानीवाड़ा को प्रार्थना–पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान् तहसीलदारजी द्वारा आदेश क्रमांक 17 दिनांक 08.06.2017 के तहत पैमाईश करने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 21.06.2020 को हल्का पटवारी पैमाईश हेतु मौके पर आये तथा पैमाईश कर सीमा चिन्ह कायम करवाये गये लेकिन उक्त पूर्व दिशा के खातेदारों ने उक्त निशानात को स्वीकार नहीं किया। मौका फर्द दिनांक 21.06.2020 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम नहीं होने की स्थिति में मौके पर विवाद की स्थिति कायम है। इसलिये विवाद को खत्म करने के लिए स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना आवश्यक हैं। उक्त आराजी की सीमा को लेकर मौके पर भारी विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 38 माठ का विवाद बनाकर हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 38 के बीच उक्त आराजीयान के सीमाज्ञान को लेकर भारी विवाद होने से उक्त आराजीयान का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गडडी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा जेतपुरा तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 121 रकबा 1.56 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 122 रकबा 0.93 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 17 से 37 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 123 रकबा 0.75 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 17 से 38 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 125 रकबा 1.33 हैक्टर व खसरा नबंर 126 रकबा 1.20 हैक्टर की पैमाईश करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडडी करने हेतु कमेठी गठित कर स्थाई पत्थर गडडी करवाने हेतु तहसीलदारजी रानीवाड़ा पर न्याय हित में आदेश फरमावें।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 3 ,6 ,7, 9, 11 ,13/1, 13/2, 14 से 21, 24, 28/1 से 31, 36, 37/4 व 38 की ओर वकील श्री मोहनलाल विश्नोई जवाब देना नहीं चाहते है। अत इनका जवाब बंद किया गया। व अप्रार्थी [illegible] 2 ,4, 5, 8, 10 ,12 ,13/3 से 13/5 ,22, 23 ,25 से 27, 32, 33, 34, 35, [illegible] से 37/3 ,39, 40 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:19 IST
Reason: SelfAttested

गई। तथा अप्रार्थी संख्या 41 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 41 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जेतपुरा के खसरा नबंर 114, 121 रकबा क्रमांक 0.95, 1.56 जुमले रकबा 2.51 हैक्टेयर जो खाता संख्या 169 के अनुसार दलाराम पुत्र जोराराम 1/3, मेदाराम पुत्र जोराराम 1/3, समेलाराम पुत्र जोराराम 1/3 कौम पुरोहित के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। तथा खाता संख्या 163 खसरा नबंर 122 में अमृतलाल पुत्र हीरा वगैरा खसरा नबंर 123,124 अन्तरी पुत्री नागजी वगैरा खाता संख्या 2 के अनुसार दर्ज है। तथा खसरा संख्या 126 अन्तरी पुत्री हीरा वगैरा राजस्व रेकर्ड अनुसार भूमि दर्ज है। बिन्दु संख्या 2 प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगती हुई अप्रार्थीगण की भूमि दर्ज है। बिन्दु संख्या 3 के अनुसार तहसील हाजा के आदेश कमांक/भु.अ./17/312 दिनांक 08.06.2017 की पालना में खसरा नबंर 114, 121 का सीमाज्ञान किया गया । वक्त सीमाज्ञान पूर्व दिशा के खातेदार द्वारा कायम निशानात् को सही स्वीकार नहीं किया गया जिसकी मौका फर्द की प्रति संलग्न है। अतः माफिक वाद बिन्दु संख्या 1 से 9 तक का जबाब अप्रार्थीगण संख्या 41 भुमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा की तरफ से प्रेषित है।
5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व अप्रार्थी संख्या 41 के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.06.2020 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा सीमाज्ञान पूर्व दिशा के खातेदार द्वारा कायम निशानात् को सही स्वीकार नहीं किया जाना स्वीकर किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी पूर्व दिशा के खातेदार कृष्ण वगैरह द्वारा उक्त निशानात् को सही स्वीकार नही किया गया बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 121 ,122 ,123, 125 व 126 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद जेतपूरा पटवारी मण्डल धामसीन के खसरा नम्बर 121 ,122 ,123, 125 व 126 रकबा क्रमश 1.56, 0.93, 0.75, 1.33, 1.20 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर